न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/178/2015

उनवान

1. गुलाब सिंह पिता शिवदान सिंह उर्फ सोदान सिंह राजपूत निवासी दोवन्या बालाजी रोड, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–
   1/1 श्रीमती विमला कंवर पत्नि स्व0 गुलाब सिंह राजपूत
   1/2 मंजू कंवर पुत्री गुलाब सिंह राजपूत
   1/3 राजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत
   1/4 इन्द्रा कंवर पुत्री गुलाब सिंह राजपूत
   1/5 राजकंवर पुत्री गुलाब सिंह राजपूत
   1/6 भैरू सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत निवासियान दोईना बालाजी रोड, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1

बनाम

1. प्रेम सिंह पिता शिवदान सिंह उर्फ सोदान सिंह राजपूत निवासी तेलीपाडा, गुलाबपुरा, तहसील हरुडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती पिंकी कंवर पुत्री सूरत सिंह उर्फ सूरज सिंह राजपूत निवासी गुलाबपुरा पत्नी भगवान सिंह राजपूत निवासी आजाद नगर, भीलवाडा
3. टप्पा कंवर पुत्री सूरत सिंह उर्फ सूरज सिंह राजपूत निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
4. शुभ कंवर पुत्री सूरत सिंह उर्फ सूरज सिंह राजपूत निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
5. चैन सिह पिता चांदमल चपलोत, निवासी गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

6. रामगोपाल पिता राम लाल तिवाडी निवासी मयूर कोलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. रामधन पिता जगन्नाथ जाट निवासी जूना गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 215/2002 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.4.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री धमेन्द्र आमेटा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 5, 6, 7
3. श्री राजेश मेहता, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 5
4.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 6.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 की संयुक्त खातदारी कब्जेकाश्त की आराजियात ग्राम गुलाबपुरा पटवार हल्का हुरडा तहसील हुरडा के खाता संख्या 46 की रूह से आराजी नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, आराजी नम्बर 186 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा बारानी ।।। है, इसमें वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 , 1/3 हक हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजियात पर 1/3, 1/3 हक हिस्सा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। दिनांक 28.8.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हमसलाह होकर नाजायज मजमा बनाकर संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी में कब्जा करने की नियत से अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की चेष्ठा की जिस पर गांव के कई मौतबिर व्यक्तियों ने प्रतिवादी संख्य 1 व 2 के नाजायज कृत्य को विफल कर दिया । वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य उपरोक्त आराजियात संयुक्त है तथा लगान जमा कराने , काश्त करने तथा ऋण लेने एवं जमीन जोतते वक्त जमीन की कमी बेशी को लेकर तनाव रहता है।

2. अतः वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बराबर हिस्से से विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा आराजी नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाते में यथावत रखे जाने की डिक्री प्रदान की जावे साथ ही निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में आई आराजियात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न अन्य से करावे तथा आराजी नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा आता चाह में वादीगण के हिस्से का पानी निकालने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करें एंव न ही किसी अन्य से करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.4.2015 पारित की एवं बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.9.2015 को पारित की । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 की संयुक्त कब्जेकाश्त की ग्राम गुलाबपुरा स्थित आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा एवं आता चाह 103 रकबा 03 बिस्वा में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होने का कथन करते हुए विभाजन कराये जाने तथा हक हिस्से अनुसार वादीगण के कब्जे दखलन्दाजी नहीं करने बाबत पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया । जिस पर बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.4.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 15.7.2015 को राजस्व केम्प कोर्ट हुरडा में बिना प्रतिवादी संख्या 1/अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एकतरफा मे उक्त अंतिम डिक्री पारिज की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 5 प्रतिवादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध तथा रेस्पोडेण्ट/वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भारी कानूनी भूल की है। जबकि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयानों में एवं रजिस्टर्ड वसीयत को प्रदर्शित कराया । प्रदर्श डी 1 पर बिना घोर किये ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की । जबकि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी नम्बर

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
रा... अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा पर प्रदर्श डी 1 दस्तावेज रजिस्टर्ड वसीयत से एकमात्र तन्हा मालिक होकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत पर कोई घोर नहीं किया एवं वादग्रस्त आराजी पर कब्जा के बिन्दु पर भी घोर नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की बहस पर विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 3, 4 एवं 5 प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी के जिम्मे रखी गई। जिसको प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी ने बखूबी साबित कराया है। प्रदर्श डी 1 रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 8.1.1992 से उक्त सम्पूर्ण रकबा आराजी नम्बर 103 व 106 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी वसीयती मालिकाना एव कब्जेकाश्त होना साबित है। वादग्रस्त आराजी शिवदान सिंह जी के बंटवारे के उपरान्त अपने हक हिस्से में रखी गई। जिसकी वसीयत अपीलार्थी/प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिक्ता का यह भी निवेदन है कि निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के उपरान्त जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 5.6.2015 को तैयार कर दिनांक 18.6.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई घोर नहीं किया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। जबकि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना चाहिये था । जबकि अपीलाधीन प्रकरण में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचित नहीं किया गया एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय किया जाना होता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय उपस्थित होने से बाबत सूचना पत्र नहीं भिजवाया गया था। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.7.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

9

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 ने वादग्रस्त आराजी पर दौराने विचारण वाद स्थगन होने के बावजूद भी रेस्पोडेट संख्या 1 से 4 ने आपसी मिलाभगती करते हुए दिनांक 19.8.2003 को अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 को विक्रय कर दिया। जबकि वादग्रस्त आराजियात बाबत वाद का निस्तारण भी नहीं हुआ था। प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 ने विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरकरण भी खुलवा लिया। उक्त तथ्य अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई घोर नहीं किया गया एवं एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10. प्रत्यर्थीगण संख्या 5 से 7 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संया 5 से 7 ने खातेदार काश्तकार से प्रतिफल अदा कर क्रय की थी। वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 5 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर कब्जाकाश्त भी प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात विक्रेता प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। प्रत्यर्थीगण विक्रेता के फुट स्टेप पर वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से

11. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं उपलब्ध साक्ष्य का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 की संयुक्त खातदारी कब्जेकाश्त की आराजियात ग्राम गुलाबपुरा पटवार हल्का हुरडा तहसील हुरडा के खाता संख्या 46 की रूह से आराजी नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, आराजी नम्बर 186 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा बारानी ाा है, इसमें वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 , 1/3 हक हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजियात पर 1/3, 1/3 हक हिस्सा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। दिनांक 28.8.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमसलाह होकर नाजायज मजमा बनाकर संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी में कब्जा करने की नियत से अनाधिकृत प्रवेश

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कर कब्जा करने की चेष्ठा की जिस पर गांव के कई मौतबिर व्यक्तियों ने प्रतिवादी संख्य 1 व 2 के नाजायज कृत्य को विफल कर दिया । वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य उपरोक्त आराजियात संयुक्त है तथा लगान जमा कराने , काश्त करने तथा ऋण लेने एवं जमीन जोतते वक्त जमीन की कमी बेशी को लेकर तनाव रहता है।

12. अतः वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बराबर हिस्से से विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा आराजी नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाते में यथावत रखे जाने की डिक्री प्रदान की जावे साथ ही निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में आई आराजियात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न अन्य से करावे तथा आराजी नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा आता चाह में वादीगण के हिस्से का पानी निकालने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करें एंव न ही किसी अन्य से करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा आने के उपरान्त 6 तनकियात कायम की जो निम्न प्रकार है :–

1. आया वादीगण वाद पत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 1/3 हक हिस्से की होकर कब्जेकाश्त की है। जिम्मे वादी
2. आया वादीगण वाद पत्र की कालम नमबर 3 व 5 में वर्णित कारणों से आराजी मुतदाविया का विभाजन कराने व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ..... जिम्मे वादी

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. आया जवाबदार आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा गुलाब सिंह को अपने पिता द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 1.8.1992 के जरिये प्राप्त हुई । तभी से उक्त आराजियात पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है।

प्रतिवादी नम्बर 1

4. आया आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा का इंतकाल इनके नाम पर गलत व अवैध रूप से खुल जाने से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 आपसी मिलीभगती द्वारा नाजायज लाभ हासिल करने की गरज से यह वाद पत्र पेश किया। ..... जिम्मे प्रतिवादी नम्बर 1

5. आया वादीगण का विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं होने से वाद पत्र काबिज खारिज के है। ....प्रतिवादी नम्बर 1

6. अनुतोष

13. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी 2 जमाबंदी संवत 2062 से 2065 मौजा गुलाबपुरा प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर 103 एवं 106 किता 2 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि गुलाब सिंह, प्रेम सिंह, पिता शिवदान सिंह, पिंकी कंवर, पुत्री सूरत सिंह, टप्पा कंर , शुभ कंवर पुत्री सूरत सिंह नाबालिग संरक्षक पिकी कंवर बहिन खुद व प्रेम सिंह काका खुद सा0 वह दर्ज रेकार्ड होने तथा नामान्तरकरण संख्या 1933 दिनांक 24.92008 विक्रय से सम्पूर्ण खाते में प्रेम सिंह के स्थान पर रामगोपाल पिता राम लाल तिवाडी, रामधन पिता जगन्नाथ जाट का नाम दर्ज रेकार्ड आना एवं नामान्तरकरण संख्या 1935 दिनांक 24.9.2008 विक्रय से पिंकी कंवर,टप्पा कंवर, शुभ कंवर पुत्री सूरत सिंह के स्थान पर चैन सिंह पिता चांदमल चपलोत साकिन देह का नाम दर्ज रकार्ड

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आना मानते हुए तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में साबित मानी है।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न स्थगन आदेश की फोटो प्रति जो कि स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.3.2008 को जारी किया गया हैं। जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 103 चाह व आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा बाबत मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है कि वे आराजी मुतदाविया की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का उनके पिता शिवदान सिंह द्वारा की गई वसीयत के आधार पर कब्जा काश्त था। वादग्रस्त आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4/वादीगण ने स्थगन आदेश के बावजूद विक्रय कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना विक्रेता/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 द्वारा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न स्थगन आदेश में मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड था । उसी हिस्से अनुसार विक्रेता/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात मे से उनके हिस्से तक का ही विक्रय किया गया था।

15. वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी । जिसमें शिवदान सिंह जी को अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत करने का अधिकार नहीं था। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी नही होकर शिवदान सिंह जी की स्वअर्जित आराजियात थी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न भू प्रबन्ध विभाग के खसरा संवत 2022 का अवलोकन किया गया । उक्त खसरा पत्र के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा को कॉलम नम्बर 23 गत भूमाप, कृषक के कॉलम में वादग्रस्त आराजी पुत्र किशना पुत्र जोरा 1/2 , किशना शिवनाथ पिता जोरा, लादू पुत्र भोजा, बबिलायत किशना जाट, शिकमी शिवदान सिंह पुत्र प्रताप सिह , गुलाबपुरा, किशना 1/2 दर्ज रेकार्ड है। नाम कृषक वर्तमान कॉलम नम्बर 24 में वादग्रस्त आराजियात शिवदान सिंह पुत्र प्रताप सिंह दरोगा के नाम दर्ज की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी संवत 2022 में पूर्व खातेदार किशना पुत्र जोरा 1/2 , किशना शिवनाथ पिता जोरा, लादू पुत्र भोजा, बबिलायत किशना जाट, शिकमी शिवदान सिंह पुत्र प्रताप सिह , गुलाबपुरा, किशना 1/2 दर्ज के नाम दर्ज थी। जिसे अकेले शिवदान सिंह के नाम पर दर्ज की गई। इस दस्तावेज के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा शिवदान सिंह की स्वअर्जित आराजियात होना प्रमाणित होता है न कि पुश्तैनी आराजियात होना । प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4/वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी होना बताया है जबकि अपने कथनों की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होना प्रमाणित हो। चूंकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 106 शिवदान सिंह जी की स्वअर्जित आराजी थी ऐसी स्थिति में उसको वसीयत करने का उन्हें पूर्ण अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध उक्त दस्तावेज का अवलोकन नहीं कर तनकी म्बर 1 का जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

16. अपीलार्थी द्वारा जो वसीयतनामा प्रदर्श डी 1 अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्शित कराया गया है। उसको प्रत्यर्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया गया है। एवं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य खण्डन में प्रस्तुत किया है जिससे शिवदान सिह पिता प्रताप सिंह द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में की गई वसीयत को गलत ठहराया जा सकता है।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबदी खतौनी ग्राम गुलाबपुरा पटवार क्षेत्र हुरडा मगरा, संवत 2046 से 49 में वादग्रस्त आता चाह नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के खातेदार शिवदान सिंह पित प्रताप सिंह राजपूत को दर्शाया गया है। परन्तु उक्त आता चाह नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के साबिक आराजी नम्बर भू प्रबन्ध से पूर्व क्या थे एवं उसके पूर्व खातेदार कौन थे। यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं हो पाया है । यह जांच का विषय था कि वादग्रस्त आता चाह नम्बर 103 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह क्या पुश्तैनी था अथवा शिवदान सिंह पिता प्रताप सिंह द्वारा स्वअर्जित अथवा स्वनिर्मित था। इस बाबत उभयपक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

18. तनकी नम्बर दो को प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2062 से 2065 के आधार पर वादीगण के पक्ष में साबित मानी है। जबकि तनकी नम्बर 1 का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने की स्थिति में तनकी नम्बर 2 से 5 पर विवेचन किये जाने का औचित्य नहीं रह जाता है। निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री के उपरान्त तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में जो बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।उसका अवलोकन किया गया । पटवारी हल्का पटवार मण्डल हुरडा मगरा द्वारा दिनांक 5.6.2015 को तैयार किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, गोलवाड़ा

के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना चाहिये था । जबकि अपीलाधीन प्रकरण में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचित नहीं किया गया एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय किया जाना होता है। विभाजन किये जाने के समय अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि की किस्म को ध्यान में रखते हुए एवं पक्षकारान के कब्जे को भी ध्यान में रखकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है । उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है । पटवारी हल्का द्वारा तैयार सुदा बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

19. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 20.4.2015 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.7.2015को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा एवं आता चाह नम्बर 103 रकबा 03 बिस्वा भूमि पुश्तैनी अथवा स्वअर्जित होने संबंधी दस्तावेज का अवलोकन कर, वादग्रस्त आराजी बाबत रजिस्टर्ड वसीयत को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात,

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/3/20 को उपस्थित रहे।

20. निर्णय आज दिनांक 6.2..2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवंपदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.06 15:43:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: